

2/4/26

02 04
26

पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित।
वादी वकील को पूर्व में प्रतिवादीगणों से
01 ता 8 का तलबाना पेश करने हेतु,
पथद्वारा अवसर दिये जा चुके हैं, फिर भी
आज भी वकील वादी द्वारा तलबाना
पेश नहीं। अतः उनके कार्या उक्त पत्रावली
को लेकर वादी वकील की उदासीनता
जाहिर होती है।

न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अनवस्थित
रूप से लंबित वादों को समाप्त कर न्यायिक
प्रक्रिया का पुनर्ारंभ होकर जाए। CPC के
Order IX Rule 5 के अनुसार वादी अपने वाद का
आगे बढ़ाने में गंभीर नहीं है अतएव वाद को
Order IX Rule 5 CPC के प्रावधानों के तहत
Dismissed किया जाना है।

पत्रावली के तलबाने का निर्धारण
पुल न्यायालय के पुनर्ारंभ, अतः /

विभागाध्यक्ष-आमयान म फ्या
पुल न्यायालय